राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान
शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर

क्रमांकः F9(4)()SCHOLARSHIP/MARGDARSHAN/SJED/2023-00003 दिनांकः–

छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन, सत्यापन एवं भुगतान संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति प्रक्रिया को सहज, सरल, सुगम, पारदर्शी एवं जवाबदेय बनाये जाने के उद्देश्य से विभागीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर किए जा सकने वाले सुधारों के संबंध में निम्नानुसार मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की जाती हैः–

➢ BIOMETRIC AUTHENTICATION OF APPLICANT.

- **ई–मित्र कियोस्क के माध्यम से** विद्यार्थी की बायोमैट्रिक (फिंगर प्रिंट/फेस रिकग्निशन/ आइरिश स्कैनिंग) पहचान के बाद ही छात्रवृत्ति आवेदन किया जा सकेगा।

- **स्वयं विद्यार्थी भी** विभागीय छात्रवृत्ति एप पर फेस रिकग्निशन के माध्यम से छात्रवृत्ति आवेदन कर सकेगा।

➢ UNIQUE PROFILE & APPLICATION ID.

- पोर्टल पर पहली बार पंजीयन के समय जनरेट हुई आवेदक की प्रोफाइल आई डी हमेशा के लिये एक ही रहेगी तथा शैक्षणिक सत्रवार उस आवेदक की छात्रवृत्ति एप्लीकेशन आई डी प्रत्येक सत्र के लिए अद्वितीय (यूनिक) होगी।

➢ MATCHING OF CASTE CATEGORY.

- यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा पूर्व सत्रों में भरे गये छात्रवृत्ति आवेदनों में भरी गई कास्ट कैटेगरी से भिन्न कास्ट कैटेगरी जनाधार डाटा से प्राप्त होती है तो ऐसे आवेदन पोर्टल पर सबमिट नहीं हो सकेंगे।

➢ UNIQUENESS OF APPLICANT'S BANK ACCOUNT.

- आधार कार्ड, जनाधार मेम्बर आई डी, बैंक अकाउंट, चालू मोबाईल नं., ई–मेल आई डी का विवरण प्रत्येक आवेदन के लिए यूनिक होगा। उक्त सूचनाओं के दोहराव वाले आवेदन पोर्टल पर सबमिट नहीं हो सकेंगे।

➢ VALIDATION OF BANK ACCOUNT THROUGH ADHAAR PORTAL.

- पोर्टल पर छात्रवृत्ति आवेदन के दौरान ही आवेदक के बैंक अकाउंट का आधार से वेलिडेशन किया जावेगा।

➢ ONLINE DATA FATCHING OF CASTE & DOMICILE.

- जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र का प्रमाणिक मास्टर डाटा एपीआई के माध्यम से फैच किया जावेगा।
- जाति प्रमाण पत्र के मेटाडाटा में टोकन नम्बर, कास्ट कैटेगरी एवं जारीकर्ता कार्यालय का विवरण प्रदर्शित होगा।
- मूल निवास प्रमाण पत्र के मेटाडाटा में टोकन नम्बर, तहसील एवं जारीकर्ता कार्यालय का विवरण प्रदर्शित होगा।

➢ MATCHING OF APPLICANT'S DATA FROM ADHAAR.

- जनाधार से फैच किये गये डाटा का आधार डेटाबेस से मिलान होने के पश्चात ही आवेदन सबमिट किया जा सकेगा।

➢ UPLOADING OF CERTIFIED FEE RECEIPT.

- विद्यार्थी द्वारा आवेदन में काट–छांट रहित ओरिजनल फीस रसीद अपलोड की जावेगी जिसमें जारीकर्ता संस्थान के प्राधिकारी के हस्ताक्षर मय सील तथा फीस का मदवार विवरण आवश्यक रूप से अंकित हों। अन्यथा छात्रवृत्ति आवेदन डीएलओ द्वारा आक्षेपित/रिजेक्ट किया जा सकेगा।

➢ UNDERTAKING OF INCOME.

- नियमानुसार निर्धारित आय सीमा में आने के साक्ष्य स्वरूप आवेदक द्वारा अपने अभिभावक/माता–पिता का आय स्वघोषणा पत्र (जिसे 02 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा मय सील प्रमाणित किया गया हो) को छात्रवृत्ति आवेदन में अपलोड किया जावेगा।
- अपलोड किये गये आय स्वघोषणा पत्र में संबंधित राजपत्रित अधिकारी के चालू मोबाइल नं. अनिवार्य रूप से अंकित करने होंगे। आय स्वघोषणा पत्र नोटेरी पब्लिक द्वारा भी प्रमाणित होना चाहियें

➢ APPLICANT'S DATA SCRUTINIZATION & VERIFICATION BY INSTITUTE.

- विद्यार्थी की छात्रवृत्ति हेतु पात्रता एवं उसके आवेदन में भरे गये डेटा तथा अपलोड किये गये समस्त दस्तावेजों की जांच एवं सत्यापन की जिम्मेदारी संस्थान की होगी।

- गुण व दोष के आधार पर संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन स्वीकृत/आक्षेपित/निरस्त किया जा सकेगा।

- संस्थान के स्तर से प्रत्येक छात्रवृत्ति आवेदन को सत्यापित कर अग्रेषित करते समय संस्थान द्वारा अनिवार्य रूप से उद्घोषणा की जावेगी कि **"इस संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन के समस्त डेटा एवं अपलोड किये गये सभी दस्तावेजों एवं विद्यार्थी की छात्रवृत्ति हेतु अपेक्षित पात्रता का भली–भांति जांच कर सत्यापन कर लिया गया है एवं सत्यापित की गई सूचना में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संस्थान विधिक कार्यवाही हेतु उत्तरदायी होगी"**।

➢ UPLOADING OFFICE COPY OF APPLICANT'S FEES RECEIPTS BY INSTITUTE.

- फीस रसीद में किसी भी कूटरचन अथवा जालसाजी को रोकने हेतु विद्यार्थी द्वारा अपलोड फीस रसीद के क्रमांक, कोर्स, अध्ययनरत् कक्षा, सत्र, मदवार राशि तथा विद्यार्थी के संस्था में प्रवेश के प्रमाण स्वरूप संस्थान द्वारा जारी की गयी फीस रसीद की कार्यालय प्रति संस्थान प्रधान द्वारा मय सील प्रमाणित कर विद्यार्थी के आवेदन की जांच के दौरान संस्थान द्वारा अपलोड की जावेगी।

➢ ONE INSTITUTE- ONE SSO ID.

- एक संस्थान–एक एसएसओ आई डी की तर्ज पर छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकृत संस्थानों की एसएसओ आई डी यूनिक रहेगी।

- पोर्टल पर लॉगिन तथा प्रत्येक छात्रवृत्ति आवेदन को सत्यापित कर जिला कार्यालय सान्याअवि में अग्रेषित करते समय संस्थान की ओर से अधिकृत छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी के पंजीकृत आधार लिंक्ड् मोबाईल नं. पर ओटीपी की व्यवस्था लागू की जायेगी।

- संस्थान के नोडल अधिकारी के परिवर्तित होने की स्थिति में जिलाधिकारी की अभिशंषा उपरांत निदेशालय सान्याअवि द्वारा संस्थानों की एसएसओ आईडी में आधार नंबर को अपडेट किया जा सकेगा।

➢ **COMPULSORY UPDATION OF AISHE (ALL INDIA SURVEY ON HIGHER EDUCATION) CODE OF INSTITUTE.**

- छात्रवृत्ति पोर्टल पर एक ही संस्थान द्वारा अपने नाम अथवा पते में थोड़ा सा फेरबदल कर होल्ड/ब्लैकलिस्ट की जा चुकी संस्थान द्वारा अनाधिकृत रूप से पोर्टल पर पुनः पंजीयन करवाने लेने अथवा मल्टीपल नामों से एक ही संस्थान के पंजीयन जैसी अनियमितताओं की रोकथाम हेतु पोर्टल पर पुरानी एवं नवीन प्रत्येक संस्थान द्वारा सक्षम स्तर से उन्हें जारी किये गये यूनिक AISHE CODE अंकित करना अनिवार्य होगा।

➢ **MAPPING OF SSO ID.**

- छात्रवृत्ति पोर्टल पर कार्य करने हेतु संस्थान की एसएसओ आईडी को संबंधित क्षेत्राधिकार वाले जिलाधिकारी सान्याअवि द्वारा मैप किया जावेगा।

- संस्थानों की एसएसओ आईडी मैपिंग में किसी भी अनियमितता को रोकने तथा उत्तरदायित्व निर्धारण के क्रम में संस्थान की आईडी मैप करते समय जिस जिले में संस्थान संचालित है उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा संबंधित संस्थान से प्राप्त प्रमाणिक दस्तावेज को पोर्टल पर साक्ष्य स्वरूप अनिवार्य रूप से अपलोड किया जावेगा।

- विश्वविद्यालयों के मामलों में उनकी आईडी मैप करने का क्षेत्राधिकार छात्रवृत्ति स्टेट एडमिन को होगा। मैपिंग के दौरान विश्वविद्यालयों से प्राप्त प्रमाणिक दस्तावेज को भी पोर्टल पर अपलोड किया जावेगा।

➢ **IP ADDRESS BOUND FOR ENSURING REALTIME BIOMETRIC ATTENDANCE.**

- शिक्षण संस्थान के स्तर पर विद्यार्थी की आधार बेस्ड रियलटाइम बायो मैट्रिक उपस्थिति हेतु इंस्टिट्यूट को विभाग द्वारा केवल एक ही आई.पी. एड्रेस अनुमत किया जावेगा। परन्तु, किसी संस्थान में 500 से अधिक छात्रवृति आवेदक होने की स्थिति में प्रति 500 आवेदकों के गुणक के रूप में एक से अधिक आई पी निदेशालय द्वारा अनुमत की जा सकेगी।

➢ PROVISION OF OTP.

- छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आवेदनों की जांच हेतू वेरिफायर की एम्पलॉई आईडी को निदेशालय सान्याअवि द्वारा संबंधित जिलाधिकारी की अनुशंषा के आधार पर पोर्टल पर मैप किया जावेगा।

- हैकिंग/डेटा टेम्परिंग के जरिये छात्रवृत्ति आवेदनों को वेरिफायर की आईडी पर जाने से अनाधिकृत रूप से रोककर सीधे ही 'अप्रुव्ड बाय डीएलओ' किये जाने जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिये पोर्टल पर लॉगिन तथा प्रत्येक छात्रवृत्ति आवेदन को सत्यापित करते समय वेरिफायर के पंजीकृत आधार लिंक्ड् मोबाईल नं. पर ओटीपी की व्यवस्था रहेगी।

- डीएलओ द्वारा छात्रवृत्ति आवेदनों की एक साथ स्वीकृति जारी करते समय डीएलओ के आधार बेस्ड् मोबाईल नं. पर ओटीपी का प्रावधान किया जाता है।

➢ RED FLAG CATEGORY OF SUSPICIOUS APPLICATIONS.

- जनाधार में दिनांक 01.07.2022 के पश्चात यदि नाम, जन्म तिथि, जाति, मूल निवास जिला, आधार संख्या में यदि कोई परिवर्तन किया गया हो अथवा निम्नानुसार उल्लेखित अन्य प्रकरणों में छात्रवृत्ति पोर्टल द्वारा इन्हें संदिग्ध मानकर रैड फ्लैग किया जावेगा।

    - छात्रवृति हेतु किये गये आवेदन के वर्ष तथा अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण की अवधि में 3 वर्ष से अधिक का अन्तराल हो।

    - एक ही आवेदक का नाम एवं आधार एक जनाधार से पृथक करवाकर दूसरे जनाधार में जुड़वाये गये हों।

    - कोर्स ब्रेक/कोर्स दोहराव/प्रोफेशनल ट्रैक बदलने/समान स्तरीय पाठ्यक्रम में अध्ययन करने वाले प्रकरण।

- रैड फ्लैग वाले आवेदनों की गहनता से जांच उपरांत उन्हें निरस्त अथवा स्वीकृत किया जावेगा।

➢ NO AUTO FORWARD & AUTO APPROVAL OF APPLICATION.

- छात्रवृत्ति अनियमितताओं की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए पोर्टल पर कोई भी आवेदन ऑटो अप्रूव एवं ऑटो फॉरवर्ड नहीं होगा।

➢ REVISED JURISDICTION OF DLO FOR PMS SCHEME.

- शिक्षण संस्थान जिस जिले में संचालित है उसमें अध्यनरत विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदनों की जांच, सत्यापन व स्वीकृति का क्षेत्राधिकार नवीन सत्र 2023–24 से उसी जिले के विभागीय जिलाधिकारी का होगा।

- किन्तु राज्य के बाहर संचालित शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत राजस्थान के मूल निवासी विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदनों के मामलों में जांच, सत्यापन व स्वीकृति का क्षेत्राधिकार उस जिले के विभागीय जिलाधिकारी का होगा जिस जिले का विद्यार्थी मूल निवासी है।

➢ MANDATORY PROVISION OF ADHAAR BASED BIOMETRIC ATTENDANCE.

- विद्यार्थी जिस संस्थान में अध्ययनरत् है उस संस्थान में प्रति माह आधार बेस्ड् बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने के बाद ही उस विद्यार्थी का छात्रवृत्ति आवेदन संस्था की ओर से जिला कार्यालय को अग्रेषित हो सकेगा।

➢ TECHNICAL PROBLEM SOLVING AUTHORITY

- छात्रवृत्ति आवेदनों में जिन तकनीकी समस्याओं का समाधान निदेशालय स्तर पर ही किया जाना संभव हो उन मामलों में संबंधित जिलाधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति प्रकरण की जांच कर विद्यमान तकनीकी समस्या का पूर्ण उल्लेख करते हुए अपनी स्पष्ट अभिशंषा मय साक्ष्य दस्तावेज के साथ समाधान हेतु प्रकरण निदेशालय को भिजवाया जावेगा।

➢ NO SEMESTER WISE APPLICATION ACCEPTED.

- नवीन सत्र 2023–24 से पोर्टल पर सेमेस्टरवार आवेदन की बजाय केवल सत्रवार एक ही आवेदन किये जाने का प्रावधान होगा।

➢ SHOWING AUDIT TRAIL OF EACH & EVERY ACTIVITY PERFORMED IN APPLICATION.

- छात्रवृत्ति आवेदन करने से लेकर किसी भी स्तर सें छात्रवृत्ति आवेदन में किये गये किसी भी परिवर्तन की गतिविधि की समयवार समस्त ऑडिट ट्रेल आवेदन में प्रदर्शित होगी।

➢ **PROVISION OF COMPULSORY SERVICE LOG MAINTAIN ON PORTAL.**

- छात्रवृत्ति आवेदन के समस्त डाटा एवं पोर्टल पर ऑपरेट होने वाली प्रत्येक गतिविधि का आई.पी. एड्रेस सहित अन्य सभी महत्त्वपूर्ण विवरण का समस्त सर्विस लॉग अनिवार्य रूप से संधारित किया जावेगा।

➢ **MANDATORY END TO END DATA ENCRYPTION OF RUNNING & STORED DATA.**

- निस्तारित हो चुके आवेदनों को पुनः भुगतान की प्रक्रिया में लाने के अवैद्य प्रयासों की रोकथाम एवं डाटा प्राइवेसी को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षात्मक उपाय के रूप में छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रत्येक डाटा आवश्यक रूप से एण्ड टू एण्ड एनक्रिप्टेड होगा।

➢ **FULL PROOF PORTAL WITH ALL SECURITY CHECKS.**

- छात्रवृत्ति पोर्टल को सभी सिक्योरिटी चैक लगाकर फुलप्रुफ बनाया जावेगा ताकि किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा पोर्टल को हैक नहीं किया जा सके अथवा पोर्टल की खामियों का फायदा उठाकर छात्रवृत्ति अनियमितता करने वाले अवैद्य प्रयासों पर अंकुश लगाया जा सके।

➢ **MANDATORY SECURITY AUDIT.**

- प्रत्येक वर्ष पोर्टल की अनिवार्य रूप से सिक्योरिटी ऑडिट करवाकर इसका प्रतिवेदन विभागाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

➢ **ONLINE VERIFICATION OF MARKSHEETS THROUGH DIGI LOCKER/ RAJ E-VAULT**

- राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा 10वीं, 12वीं की मार्कशीट का मैटा डाटा डिजी लॉकर/राज ई वॉल्ट के माध्यम से छात्रवृत्ति आवेदन में प्रदर्शित होगा। परन्तु अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण विद्यार्थियों के मामलों में अंकतालिका अपलोड किये जाने का ऑप्शन पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा।

➢ **COMPETENT AUTHORITY IN SPECIAL CASES.**

- छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थानों एवं आवेदनों को होल्ड/अनहोल्ड किये जाने के सक्षम प्राधिकारी निदेशक/आयुक्त सान्याअवि, राजस्थान, जयपुर होंगे।

- निरस्त हो चुके आवेदनों को गुणावगुण के आधार पर रिस्टोर किये जाने का निर्णय निदेशक/आयुक्त सान्याअवि, राजस्थान, जयपुर द्वारा किया जावेगा।

- छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्थानों को ब्लैक लिस्ट करने तथा संस्थानों को डि–एफिलियेट/रि–एफिलियेट किये जाने के सक्षम प्राधिकारी शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिव, सान्याअवि, शासन सचिवालय राजस्थान, जयपुर होंगे।

- छात्रवृत्ति दिशा–निर्देशों की पालना एवं असामान्य परिस्थितियों में राज्य एवं छात्रहित के लिए आवश्यकतानुसार छात्रवृत्ति पोर्टल पर कोई भी अद्यतनीकरण का निर्णय शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिव, सान्याअवि, शासन सचिवालय राजस्थान, जयपुर द्वारा लिया जावेगा।

(डॉ. समित शर्मा)
शासन सचिव